

मुरादाबाद मण्डल,
मुरादाबाद।

सेवा में,

सचिव,
कोर्टीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्
शिक्षा केन्द्र-2, समुदाय केन्द्र, प्रीति बिहार,
नई दिल्ली।

संख्या 1465

/27- 59 (2008-09) जे०३०

विषय :- ढी पॉल स्कूल, सहसपुर, चन्दौसी रोड, बिलारी, मुरादाबाद को सी०१०१ए०१० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापति प्रमाण पत्र दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये अवगत कराना है कि ढी पॉल स्कूल, सहसपुर, चन्दौसी रोड, बिलारी, मुरादाबाद विद्यालय को सी०१०१ए०१० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापति प्रमाण पत्र दिये जाने में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिवर्वदाओं के अधीन आपति नहीं है :-

- 1- विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- 2- विद्यालय की प्रांगं तमिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- 3- विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेहादी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उपर्युक्त माध्यमिक शिक्षा परिषद्/वैसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- 4- संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मौग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद् से मान्यता झी- है तथा विद्यालय की संबद्धता मैट्रिल बोर्ड आफ सेकेप्स्ट्री एज्यूकेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से 30/३० माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।
- 5- संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षानेतार कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त रिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुमत्य बेतानमानों तथा अन्य भर्तों से कम बेतानमान तथा अन्य भर्ते नहीं दिये जायेंगे।
- 6- कर्मचारियों की सेवा शर्त बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमत्य सेवा नियुक्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
- 7- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्मित किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।
- 8- विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र परिकारों में रखा जायेगा।
- 9- राज्य सरकार एवं जी०१०१ए०१०, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार भूमि, भवन एवं अन्य अवस्थाएँ सुविधाओं की उपलब्धता, संबद्धता से पूर्व संस्था द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
- 10- उक्त विद्यालय का संचालन अनापति प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत मू-अमिलेखों में उल्लिखित ग्राम ऊस्तमनगर, सहसपुर, परगना जरगेंव, तहसील बिलारी, जिला मुरादाबाद में स्थित गांठा चौं 1248 कूल बैत्रफल 1.1210१० भूमि में निर्मित भवन व भूमि पर ही किया जायेगा, भूमि का प्रयोग अन्य किसी प्रयोजन हेतु करने तथा विद्यालय को अन्यत्र संचालित करने पर यह अनापति स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
- 11- उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्णानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

उक्त प्रतिवर्वदाओं का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चुक्क या शिखिलता बरती जाती है, तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

(ओ०१०१ए०१० सिंह)
आयुक्त।

संख्या एवं दिनांक : उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, माध्यमिक शिक्षा विभाग, लखनऊ।
- 2- शिक्षा निदेशक (न०), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 3- निरीक्षक, आंतर भारतीय विद्यालय उपर्या, लखनऊ।
- 4- जिलाधिकारी मुरादाबाद।
- 5- संयुक्त शिक्षा निदेशक, द्वादश मण्डल, मुरादाबाद।
- 6- जिल विद्यालय निरीक्षक, मुरादाबाद।
- 7- प्रबंधक, ढी पॉल स्कूल, सहसपुर, चन्दौसी रोड, बिलारी, मुरादाबाद।

(ओ०१०१ए०१० सिंह)
आयुक्त।